

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 235

प्रकरण क्रमांक-M-PRO-2022-01856

आवेदक : डॉ. ज्योति लागू पति-श्री विनोद कुमार लागू निवासी-बंगला क्रं.-95, लॉस विस्टा,
वी.आई.पी. रोड, अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.) विरुद्ध अमृत होम्स प्रा.लि. द्वारा-डायरेक्टर
प्रीतपाल सिंह बिन्द्रा, निवासी-17, जोन-2, एम.पी.नगर, भोपाल (म.प्र.)
प्रोजेक्ट - "लॉस विस्टा" अमलीडीह, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
08/05/2023	<p>प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>आवेदक पक्ष से कोई उपस्थित नहीं।</p> <p>आवेदक के आवेदन में उल्लेखित पते पर नोटिस भेजा गया, जो कि "इस पते पर नहीं रहते" टीप लिखकर वापस प्राप्त। एक-एक घंटे के अंतराल पर तीन बार पुकार लगाया गया। आवेदक अनुपस्थित।</p> <p>अनावेदक पक्ष अधिवक्ता श्री शाश्वत सुराना उपस्थित।</p> <p>प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया।</p> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 235

प्रकरण क्रमांक-M-PRO-2022-01856

आवेदक : डॉ. ज्योति लागू पति-श्री विनोद कुमार लागू निवासी-बंगला क्रं.-95, लॉस विस्टा,
वी.आई.पी. रोड, अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.) विरुद्ध अमृत होम्स प्रा.लि. द्वारा-डायरेक्टर
प्रीतपाल सिंह बिन्द्रा, निवासी-17, जोन-2, एम.पी.नगर, भोपाल (म.प्र.)
प्रोजेक्ट - "लॉस विस्टा" अमलीडीह , जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की
तारीख व स्थान

आदेश अथवा कार्यवाही

पक्षकार अथवा प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर